

## आइसगेट (Ice Gate – Economy)

### सुर्खियों में क्यों?

गैरकानूनी विदेशी मुद्रा प्रेषण और मनी लॉड्रिंग (काले धन का वैध) को रोकने के लिए भारत की खुफिया एजेंसियाँ (शाखाओं) और आरबीआई, इंडियन (भारतीय) कस्टम्स (सीमा शुल्क विभाग) इलेक्ट्रॉनिक (विद्युतीय) कॉमर्स (वाणिज्य) इलेक्ट्रॉनिक (विद्युतीय) डाटा (आधार सामग्री) इंटरचेंज (परस्पर बदलना) (आईसीईजीएटीई) और बैंकिंग तंत्र का एकीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

आईसीईजीएटीई प्रवेश-बिलों, शिप्रिं बिल, और अन्य आयात-निर्यात दस्तावेजों का कस्टम्स (सीमा शुल्क विभाग) इलेक्ट्रॉनिक (विद्युतीय) रिपोर्टिं (भंडार) है।

### पृष्ठभूमि

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सरकारी विभाग) (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय ने बैंको द्वारा गैरकानूनी विदेशी मुद्रा प्रेषण के संबंध में कई मुकदमों दर्ज किये हैं, जिसमें हाल ही में बैंक (अधिकोष) ऑफ़ (का) बड़ौदा व कुछ अन्य बैंको द्वारा रु 6000 करोड़ रुपये विदेश भेजने की घटना शामिल है।

### एकीकरण का उद्देश्य

आईसीईजीएटीई और बैंकिंग तंत्र का एकीकरण, पैसे देने से पहले बैंको को आयातकों और निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराये गए बिलों की सत्यता का परीक्षण करने में मदद करेगा। यह एक सकारात्मक कदम है और आयात/निर्यात लेन-देनों में शामिल जोखिमों को हल करने में मदद करेगा।